

1	विभाग—	श्रम विभाग
2	योजना का नाम —	सौर ऊर्जा सहायता योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	<ul style="list-style-type: none"> ● पंजीकृत श्रमिक जिनका अद्यतन अंशदान जमा हो तथा जिन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत सोलर लाईट/लानटेन की सुविधान प्राप्त न की हो तथा जिनके घरों में विद्युत कनेक्शन न हो। ● पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक, जो अधिनियम के अंतर्गत आवर्त होते हैं, को सोलर लाईट सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत अगले कार्यादेश से प्रत्येक लाभार्थी से रु 250 की धनराशि अंशदान के रूप में लिया जायेगा। ● श्रम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार पात्र निर्माण श्रमिकों को 15 वाट के पंखे सहित 5 वाट के दो एल0ई0डी0 बल्ब के उपयोग हेतु सोलर होमलाईट की आपूर्ति की जायेगी। ● लाभान्वित किये जाने वाले श्रमिकों का अपना निजी मकान एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवास होना आवश्यक है। ● पंजीकृत श्रमिकों जिनके बच्चे कक्षा 6 से 12 के मध्य अध्ययन करने वाले हों तथा परिवार के साथ निवास करते हों, चयन में वरीयता दी जायेगी। ● यदि पूर्व में अक्षमता पेंशन योजना, साइकिल सहायता योजना तथा दुर्घटना सहायता योजना को छोड़कर अन्य किसी योजना का लाभ न दिया गया हो तो उन्हें वरीयता दी जायेगी। ● पति पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक होने पर केवल एक को ही हितलाभ मिलेगा। ● कोई खराबी आने पर श्रमिक सीधे नेडा से सम्पर्क करें। सोलर लाईट/लानटेन का रखरखाव श्रमिक द्वारा किया जायेगा। सर्विस चार्ज नेडा द्वारा सीधे श्रमिक से लिये जायेंगे।
4	पात्रता की अर्हता—	पंजीकृत श्रमिक
5	आवेदन की प्रक्रिया—	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।